

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग- 3)

क्रमांक: एफ.4(23)ग्रावि / ग्रारो / नरेगा / 06

जयपुर, दिनांक: 22/4/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम, राजस्थान,
समस्त, राजस्थान

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत कार्य के संबंध में।


संदर्भ: इस कार्यालय के समसंबंधिक पत्रांक दिनांक 13.04.2009

महोदय,


उक्त संदर्भित्र पत्र के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों पर समयावधि प्रातः 7.00 से सायं 4.00 बजे तक निर्धारित की गई थी। कई स्थानों से गर्मी के कारण इसे प्रातः 6.00 बजे से प्रारम्भ करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला कलक्टर अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समय निर्धारित कर इस कार्यालय को अवगत करावे।

यदि कोई समूह समय से पूर्व ही निर्धारित टारक के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें जाने की अनुमति देने का प्रावधान है। वह किये गये कार्य की माप करवाकर मेट के पास उपलब्ध कार्यस्थल डायरी में दर्ज करा एवं समूह के मुखिया के हसताक्षर उपरान्त कार्यस्थल छोड़ सकता है।

भवदीय,


(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।


परिवेशकर्त्तव्य सचिव (ग्रारो)
4/1/22